आर.ई.ओ.– 114

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फेक्स नं० 2651313

क्रमांक:– प्रनि/जोविविनिलि/अनु–पीपीएम/पत्रा०सामान्य /प्रे०सं० 2495 जोधपुर,दिनांक 26-12-05

आदेश

विषय :– अनुसूचित जाति के कृषक द्वारा जमीन खरीदने पर कृषि कनेक्शन देने हेतु प्राथमिकता देने के संम्बन्ध मे।

****

समन्वय समिति की दिनांक 28/29 नवम्बर 2005 को आयोजित 86 वी बैठक में कृषि कनेक्शन नीति–2004 (संशोधित–18.9.2004) के बिन्दु संख्या 14 (i) व (ii) मे निहित प्रावधान यथा अनुसूचित जाति के कृषकों द्वारा चालू वित्त वर्ष से 5 वर्ष पूर्व जमीन खरीदने पर कृषि कनेक्शन देय है पर विचार कर अनुसूचित जाति के कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि उक्त 5 वर्ष की समय सीमा को घटा कर 3 वर्ष कर दिया जाये।

अतः जिन अनुसूचित जाति के कृषकों ने चालू वित्त वर्ष से 3 वर्ष पूर्व कम से कम 2 बीघा कृषि भूमि सवर्ण/पिछडी/अनुसूचित जन–जाति के कृषक/कृषकों से क्रय की हो, उन्हे जमीन की खरीद सम्बन्धी पूर्ण जॉच के बाद अनुसूचित जाति की प्राथमिकता के अनुरुप कनेक्शन दे दिया जावें।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(एच.एस.देवड़ा)
मुंख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।